

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता
बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

जर्जर प्रार्थना पत्र संख्या :- 40/2017

प्रार्थी :- सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता

बनाम

अप्राधीगण :-

1. भीयाराम पुत्र श्री मंगाराम गुर्जर
 2. रमा पत्नी श्री जोगीराम लुहार
- निवासीगण हरसोलाव, तहसील मेड़ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा भू-राजस्व
(भू-अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू-राजस्व
अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत

निर्णय

दिनांक :- 06.10.2017

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार मेड़ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा भू-राजस्व (भू-अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि राजस्थान सरकार राजस्व(गुप 6) विभाग के परिपत्र संख्या प-3(2)राज-6/2003/घाट दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में भू-राजस्व अधिनियम की धारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा भू-राजस्व (भू-अधिनियम) नियम 1957 का नियम 58, 59, 60, 66, 86 एवं भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131, 132, 136 के अन्तर्गत निवेदन है कि तहसील क्षेत्र मेड़ता के पटवार मण्डल हरसोलाव के राजस्व ग्राम हरसोलाव में हिलोड़ी मार्ग से गुगलिया की ढाणी तक वर्षों से चल रहे कदिमी रास्ता/निजी खातेदारी भूमि से/राजकीय भूमि से रास्ता रथाई रूप से चालु है। जिसमें क्रमशः निम्न व्यक्तियों की खातेदारी भूमि में से यह रास्ता बारहमासी चलता है किन्तु

राजस्व रेकॉर्ड में अंकित नहीं है। जिस पर डामर सड़क/मुडिया सड़क भी बनी हुई है। इस रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करना आवश्यक है।

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि
1.	भीयाराम पुत्र श्री मंगाराम गुर्जर	2205	0.73	बा-2	0.037
2	रमा पत्नी श्री जोगीराम लुहार रहन आरएमजीवी हरसोलाव	2203	1.01	बा-2	0.051

इस रास्ते को रेकॉर्ड में अंकन हेतु करना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु मय भू-अभिलेख निरीक्षक हरसोलाव की रिपोर्ट व पटवारी हरसोलाव की रिपोर्ट प्रस्तुत है। उक्त खसरा नम्बर का प्रभावित रकबा संलग्न नक्शा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में रास्ते के अंकन के लिये पी-31 की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त रास्तों को राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करवाने की कार्यवाही करने की कृपा कराते हुए तरमीम के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री सत्यदेव सांदू ने वकालतनामा पेश किया। वकील गैरसायल को चार अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया। जिससे जवाब बंद किया गया।

बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार रास्ता कदिमी चल रहा है। जिससे रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है।

आदेश

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार रास्ता घोषित किया जाता है। खातेदारी खातेदार की ही रहेगी परन्तु किस्म गै.मु. रास्ता रहेगा।


अधिकारी
मय (रा.ब.)

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	शरते में प्रभावित भूमि
1	भीषाराम पुत्र श्री मंगाराम गुर्जर	2205	0.73	वा-2	0.037
2	रमा पत्नी श्री जोगीराम लुहार रहन आरएमजीबी हरसौलाव	2203	1.01	वा-2	0.051

तहसीलदार मेड़ता यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो
अथवा अन्यथा आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अंकन कर
नियमानुसार नक्शे में बाद जांच तरमीम करना सुनिश्चित करे। पत्रावली
किसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को स्थुले न्यायालय में सुनाया गया।



हीरालाल मीना

उपखण्ड अधिकारी

मेड़ता